रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102021-230222
CG-DL-E-07102021-230222

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3809]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 7, 2021/आश्विन 15, 1943
No. 3809]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 2021/ASVINA 15, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4144(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 17 फरवरी, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 14 फरवरी, 2020 के सां.आ. 738 (अ) के *द्वारा* फ्लैट ट्रांसपेरेंट शीट ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के अधिक्रमण में, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने का लोप किया गया है, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो (ब्यूरो) के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, नामत: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को फ्लैट ट्रांसपेरेंट शीट ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 कहा जाएगा।

(2) इस आदेश में अन्यथा किए गए प्रावधान को सुरक्षित रखते हुए, यह आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. अनुप्रयोग – 01 अप्रैल, 2022 से, यह आदेश नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान पर लागू होगा, लेकिन इसमें से कुछ भी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

3. मानक की अनुरुपता और मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- उक्त तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उसके कॉलम (2) में उल्लिखित तद्नुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

4. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – उक्त तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
फ्लैट ट्रांसपेरेंट शीट ग्लास	आईएस 2835 : 1987	फ्लैट ट्रांसपेरेंट शीट ग्लास-विशिष्टता

नोट : तालिका के प्रयोजन के लिए, उनके संशोधन सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, ब्यूरो द्वारा अधिसूचित तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-14031/91/2018-सीआई]

अनिल अग्रवाल, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 7th October, 2021

S.O. 4144(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Flat Transparent Sheet Glass (Quality Control) Order,2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide number* S.O.738(E), dated the 14th February, 2020 on the 17th February, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards (Bureau) is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order, namely:-

1.Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Flat Transparent Sheet Glass (Quality Control) Order, 2021.

(2) Save as otherwise provided in this order, it shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Application.- With effect from the 1st April, 2022, this order shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but nothing herein shall apply to said goods or articles meant for export.

3. Conformity to Standard and Compulsory use of Standard Mark. –The goods or articles specified in column (1) of the said Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (2) thereof and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

4. Certification and Enforcement Authority. –The Bureau shall be the certifying and enforcement authority for the goods or articles specified in the column (1) of the said Table.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Flat Transparent Sheet Glass	IS 2835: 1987	Flat Transparent Sheet Glass–Specification

Note : For the purpose of this Table, the latest version of Indian Standard including the amendment thereof,as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date as notified by the Bureau.

[F. No. P- 14031/91/2018- CI]

ANIL AGRAWAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.